भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2466
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

2466 श्री जी. सी. चन्द्रशेखर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) अगस्त 2019 से जून 2026 तक कितने ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय क्या रहा है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए गए; और
(घ) यदि वित्तीय व्यय और वास्तविक उपलब्धि के बीच कोई अंतर है, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

इस दिशा में और देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है।

मिशन (2019-24) का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लगभग पूरा केंद्रीय हिस्सा मार्च 2025 तक पात्र राज्यों को जारी कर दिया गया।

इसके बाद, मार्च 2026 में, सरकार ने जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन और बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी।

मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय अब 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है अर्थात् 1.51 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय परिव्यय शामिल किया गया है। मिशन के तहत अब तक हुई वित्तीय प्रगति का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई/आरई	वास्तविक व्यय	संसूचित उपयोग (केंद्र + राज्य)
2019-2020	10,000.66	10,000.44	10,074.28
2020-2021	11,000.00	10,999.94	20,449.96
2021-2022	45,011.00	40,125.64	43,551.85
2022-2023	55,000.00	54,839.79	92,339.73
2023-2024	70,000.00	69,992.37	1,55,979.20
2024-2025	22,694.00#	22,638.44	92,600.89
2025-26	17,000.00	1,606.21	42,802.82
2026-27 (18.07.2026 तक)	67,670.00	3,519.24	8,140.89

#मार्च, 2026 में जेजेएम 2.0 के अनुमोदन तक कुल उपयोग 2,08,652 करोड़ रुपये के अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय तक सीमित है

जेजेएम की घोषणा के समय, देश में लगभग 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल के कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 18.07.2026 तक सूचित किए गए अनुसार, लगभग 12.65 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.89 करोड़ (82%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल के कनेक्शन का वर्ष वार विवरण पब्लिक डोमेन में उल्लिखित लिंक पर है: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx
